निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ़ 1946 (श0)

(सं0 पटना 650) पटना, शुक्रवार, 19 जुलाई 2024

सं० 13/न0वि0/न्या०–02/2023/2149—न0वि0 एवं आ0वि0
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

15 जुलाई 2024

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–20.10.2023 को **Writ Petition (Civil) No(S). 324 of 2020,** डॉ० बलराम सिंह **Vs Union of India & Ors.** मामले में पारित आदेश की कंडिका–96 में वर्णित विभिन्न निदेशों के अनुपालन में मैन्युअल सीवर सफाईकर्मी की सीवरेज कार्य (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) के दौरान सीवर (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) से होने वाली मृत्यु के कारण पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी विद्यालय में नामांकन, कौशल प्रबंधन से संबंधित प्रोग्रामों में उनका नामांकन, सरकारी छात्रवृत्ति के साथ ही मृत्यु होने पर रु० 30.00 लाख (तीस लाख रूपये) मात्र एवं विकलांगता की स्थिति में विकलांगता की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम रु० 10.00 लाख (दस लाख रुपये) मात्र तथा स्थाई विकलांगता पर रु० 20.00 लाख (बीस लाख रुपये) मात्र मुआवजा के राशि के व्यय की स्वीकृति।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत Writ Petition (Civil) No(S). 324 of 2020, डॉ० बलराम सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य याचिका जो कि ''मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और शुष्क शौचालय का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993'' एवं ''मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास का अधिनियम, 2013'' के संबंध में है, उक्त वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायनिर्णय पारित किया गया है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Writ Petition (Civil) No(S). 324 of 2020, डॉ० बलराम सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य याचिका में दिनांक–20.10.2023 को पारित आदेश के कंडिका–96 के अनुपालन में मैन्युअल सीवर सफाईकर्मी की सीवरेज कार्य (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) के दौरान सीवर (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) से होने वाली मृत्यु के कारण पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी विद्यालय में नामांकन, कौशल विकास से संबंधित प्रोग्रामों में उनका नामांकन, सरकारी छात्रवृत्ति के साथ ही मृत्यु/विकलांगता के लिए मुआवजा की राशि निम्नवत् दिया जायेगा :–

(i) मृत्यु होने पर मुआवजा की राशि रु० 30,00000/– (तीस लाख) रु० मात्र होगी।

(ii) विकलांगता की स्थिति में विकलांगता की गंभीरता के आधार पर मुआवजा वितरित किया जायेगा, जो कि न्यूनतम मुआवजा रु० 10,00000/– (दस लाख रु०) मात्र होगी तथा यदि विकलांगता स्थायी है और पीड़ित को आर्थिक रूप से असहाय बनाती है तो मुआवजा की राशि रु० 20,00000/– (बीस लाख) रु० मात्र होगी।

3. मैन्युअल सीवर सफाईकर्मी की सीवरेज कार्य (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) के दौरान सीवर (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) से होने वाली मृत्यु के कारण पीड़ितों के आश्रितों का मुआवजा देने की जिम्मेवारी/जवाबदेही काम कराने वाले संबंधित नगर निकायों/बुडको अथवा संविदात्मक या आउटसोर्स के माध्यम से कार्य करने वाले संबंधित ठेकेदार/एजेंसी की होगी एवं जिनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है, उनके द्वारा ही पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा की राशि प्रदान किया जाएगा, सभी निविदा में इस आशय की शर्त रहेगी और इसका उल्लेख एकरारनामा में भी अवश्य अंकित रहेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा संबंधित नगर निकायों/बुडको एवं संविदात्मक या आउटसोर्स के माध्यम से कार्य करने वाले संबंधित ठेकेदार/एजेंसी को किसी प्रकार प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

4. **मुआवजा की राशि का उद्देश्यः**– मैन्युअल सीवर सफाईकर्मी की सीवरेज कार्य (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) के दौरान सीवर (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) से होने वाली मृत्यु के कारण पूरा परिवार बिना कमाने वाले का रह जायेगा, जिसके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए राशि का उपयोग किया जायेगा। मुआवजे की राशि का वितरण पीड़ित के सबसे निकटतम आश्रित को अनुमान्य होगा। मुआवजे की राशि का शत्–प्रतिशत वहन संबंधित नगर निकायों/बुडको अथवा संविदात्मक या आउटसोर्स के माध्यम से कार्य करने वाले संबंधित ठेकेदार/एजेंसी, जिनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है, उनके द्वारा किया जाएगा।

5. **कार्यान्वयन एवं अनुश्रवणः**– नगर निकाय स्तर पर कार्यान्वयन की जिम्मेवारी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की होगी, जो समय समय पर अद्यतन प्रतिवेदन बिहार सरकार को प्रतिवेदित करेंगे।

राज्य और नगर निकाय स्तर पर वास्तविक निगरानी की जायेगी। तृतीय पक्ष निगरानी तथा समीक्षा को बढावा दिया जायेगा। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।

6. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक–12.07.2024 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

7. अतः "माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–20.10.2023 को Writ Petition (Civil) No(S). 324 of 2020, डॉ० बलराम सिंह Vs Union of India & Ors. मामले में पारित आदेश की कंडिका–96 में वर्णित विभिन्न निदेशों के अनुपालन में मैन्युअल सीवर सफाईकर्मी की सीवरेज कार्य (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) के दौरान सीवर (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) से होने वाली मृत्यु के कारण पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी विद्यालय में नामांकन, कौशल प्रबंधन से संबंधित प्रोग्रामों में उनका नामांकन, सरकारी छात्रवृत्ति के साथ ही मृत्यु होने पर रु० 30.00 लाख (तीस लाख रूपये) मात्र एवं विकलांगता की स्थिति में विकलांगता की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम रु० 10.00 लाख (दस लाख रुपये) मात्र तथा स्थाई विकलांगता पर रु० 20.00 लाख (बीस लाख रुपये) मात्र मुआवजा के राशि के व्यय की स्वीकृति" पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आरिफ अहसन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 650-571+500-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in